

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 381]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 26 अगस्त 2014—भाद्र 4, शक 1936

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2014

क्र. एफ-ए-3-05-2014-1-पांच-(41).—यतः, राज्य सरकार यह आवश्यक समझती है कि मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 में निम्नलिखित संशोधन मध्यप्रदेश राजपत्र में पूर्व प्रकाशन के बिना तत्काल किया जाए;

अतएव, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 71 की उपधारा (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

#### संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 5 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“5-क. धारा 10-क के अधीन कुल राशि की सीमा

धारा 10-क की उपधारा (3) के प्रयोजन के लिए सीमा 10 करोड़ रुपये होगी.”

(2) यह संशोधन 23 अप्रैल 2014 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2014

क्र. एफ-ए-3-05-2014-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-05-2014-1-पांच-(41), दिनांक 26 अगस्त 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 26th August 2014

No. F-A-3-05-2014-1-V(41).— WHEREAS, the State Government considers it necessary that the following amendment in the Madhya Pradesh Vat Rules, 2006 should be made at once without previous publication in the Madhya Pradesh Gazette.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (1) of Section 71 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Vat Rules, 2006, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, after rule 5, the following rule shall be inserted, namely:—

“5-A. Limit of turnover under Section 10-A.

For the purpose of sub-section (3) of Section 10-A the limit shall be rupees ten crores.”.

2. This amendment shall be deemed to have come into force from 23rd April 2014.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.